राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2485/2023

प्रियंका प्रजापत —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–प्रथम, जयपुर।
4. अनिता चौधरी, फार्मासिस्ट, राजकीय चिकित्सालय, झोटवाड़ा, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप गरसा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को इस अधिकरण में प्रस्तुत अपील संख्या 1684/2023 में पारित आदेश दिनांक 06.07.2023 की पालना में राजकीय चिकित्सालय, झोटवाडा, जयपुर में पदस्थापित रखा गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को वर्तमान पद से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
3. हमनें अपीलार्थी के उपरोक्त तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. यह स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी को वेतन प्रदान नहीं किया जा रहा है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपीलार्थी को वर्तमान पद से अथवा अन्य किसी रिक्त पद से वेतन आहरित कर वेतन का भुगतान करें।
5. इस आदेश की पालना 10 दिवस में की जाये।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)